

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

क्रमांक :- 1025

दिनांक :- 02/7/26

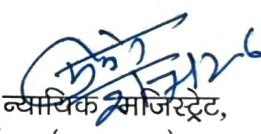
॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं मनोज सिंह फौजदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 998 दिनांक 30.06.2026 में पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई के पारिवारिक कार्यक्रम होने से संशोधन कर राजकीय अवकाश के लिए टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, अनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रोटोकॉल के लिए सारणी संख्या 2 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे। माह जुलाई-2026 की शेष दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती जारी आदेश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

सारणी संख्या :- 2 प्रोटोकॉल इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	सरिता कायथ	7737220734	05.07.2026
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	ईशा सांघी	9510318076	19.07.2026

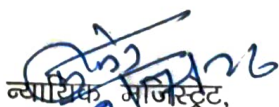
नोट :- उक्त राजकीय अवकाश के अतिरिक्त आगामी दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त राजकीय अवकाश में प्रोटोकॉल हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 1026 - 1032

दिनांक :- 02/7/26

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई।
- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह।
- पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
- सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
- पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
- प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)